वित्तीय स्वीकृति

संख्या-18/2018/509/18-2-2018-30(1)/2016

प्रेषक

पन्ना लाल
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 17 मई, 2018

विषयः- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर के पत्रांक-85/6-पी0आर0/वि0वर्ष 2018-19मांग/2018-19, दिनांक 10-4-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना के निमित्त आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 50.00 (रूपये पचास लाख मात्र) को आपके निर्वतन पर रखने एवं व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर इसे पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुमोदित योजना की स्वीकृत मदों पर तदनुसार ही किया जायेगा तथा किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग अन्य मदों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि के व्यय की मदवार सूचना निर्धारित प्रारूप बी0एम0-13 पर प्रत्येक माह में नियमित रूप से शासन तथा वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 को उपलब्ध करायी जायेगी। इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि को व्यय करते समय आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा शासन के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गए मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेशों एवं वित्त आय(आय-ब्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश लघु एवं मध्यम उद्योग ब्याज उपादान योजना-2016 के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-9/2016/549/18-2-2016-30(1)/2016, दिनांक 12-8-2016 में निहित निर्देशों एवं

http://sidcsandesh.nic.up.in

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017 में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।

5- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-3 "लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-26-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति के अन्तर्गत ब्याज उपादान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, वित्तीय एंव सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- अर्थ नियंत्रक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0 प्र0, कानपुर।
4- कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, नियोजन अनुभाग-4
6- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
7 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

http://sansadesh.nic.up.in